



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांक:-37(8)परावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्था-11/2018/2660

जयपुर दिनांक 10/11/2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद- सिरौही/जयपुर।


विषय:- कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश जारी करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके अधीन पंचायत समितियों/जिला परिषदों में कार्यरत निम्न कार्मिकों का स्थानान्तरण निर्देशित स्थान पर कर अवगत करावें।

क्रम सं.	नाम कार्मिक सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	कहां से	कहां को
1	हितेश	कनिष्ठ सहायक	ग्राम पंचायत आवल से ग्राम पंचायत पावा, पंचायत समिति आबूरोड, जिला सिरौही स्थानान्तरणधीन	निरस्त कर यथावत ग्राम पंचायत आवल पंचायत समिति आबूरोड, जिला सिरौही
2	जितेन्द्र कुमार मीणा	ग्राम विकास अधिकारी	ग्राम पंचायत आनन्दपुरा, पंचायत समिति कोटखावदा, जिला जयपुर स्थानान्तरणधीन	निरस्त कर यथावत ग्राम पंचायत आनन्दपुरा, पंचायत समिति कोटखावदा, जिला जयपुर

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परीविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।


(विजयपाल सिंह II)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(I)

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव(एलटी), मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपंरावि जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक पंचायती राज राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद संबंधित
6. एसीपी मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(I)